आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित

न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू (राँची)।

U/S 15 OF THE BIHAR TENANT'S HOLDINGS (MAINTENANCE OF RECORDS) ACT, 1973

दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–71 / 2019–20

1. गोपाल प्रसाद, पिता–छुटूराम प्रजापति,
निवास ग्राम–ब्लॉक रोड बुण्डू, पो०+थाना–बुण्डू, जिला–राँची।.....अपीलार्थी।

बनाम

1. अंचल अधिकारी, बुण्डू.....विपक्षी।

28.11.2020

आदेश

प्रस्तुत वाद में अपीलार्थी ने अंचलाधिकारी, बुण्डू के द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०–184 R27 / 2016-2017 में दिनांक–10 / 11 / 2016 को पारित आदेश के विरूद्ध यह अपील दायर किया है। जिसके द्वारा निम्नलिखित भूमि का नामांतरण अस्वीकृत किया गया।

भूमि विवरणी

मौजा	थाना	थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा
नावाडीह	बुण्डू	74	19	428	39 डिसमील

चौहदीः– उ०–बिहारी स्वाँसी, द०–रास्ता, पू०–स्कुलधर, प०–सहदेव मुण्डा।

अपीलार्थी की ओर से दायर अपील आवेदन पर सुनवाई हेतु इस अपील वाद को ग्रहण किया गया। अभिलेखबद्ध निम्न न्यायालय के नामांतरण मुकदमा सं०–184 R27 / 2016-2017 का ऑनलाईन जनित अस्वीकृति की सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। जिसमें राजस्व कर्मचारी के मंतव्यानुसार ऑनलाईन भूमि आर०एस० खतियान में मंगल स्वांसी के नाम से दर्ज है जो कि CNT सूची के अंतर्गत शामिल है। अतएव इसी आधार पर नामांतरण अस्वीकृत की गयी है। इस संबंध में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि वर्ष 1968 में ही खतियानी रैयत स्वांसी जाति CNT सूची में शामिल नहीं था। स्वांसी जाति को वर्ष 2012 में शामिल किया गया है परन्तु ऊपर वर्णित भूमि 2012 से काफी पहले खतियानी रैयतों के पास से निकल चूका है। जिस कारण से उक्त भूमि का दाखिल खरिज किया जा सकता है। अतः इसी आधार पर यह अपील स्वीकृत किया जाए।

उपसमाहर्त्ता, विधि शाखा, राँची के ज्ञापांक–217(ii) दिनांक–31 / 01 / 2012 के द्वारा प्राप्त माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के W.P.(PIL) No.-758/2011 सालखन मुर्मू बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक–25 / 01 / 2012 को पारित आदेश की प्रति जिसमें मुख्य न्यायाधीश प्रकाश टाटिया एवं न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह के द्वारा C.N.T. Act का सख्ती से अनुपालन करने का निदेश दिया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं निर्देशों के आलोक में यह निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को यथावत रखते हुए यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहूँचती है कि कथित भूमि C.N.T. Act से आच्छादित है। अतः उपरोक्त अपील वाद को अस्वीकृत किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित।

28/11

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
बुण्डू(राँची)।

28/11

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
बुण्डू(राँची)।

Digitally signed by Ajay Kumar Saw
Date: 2022.03.07 17:05:38 +05:30
Location: 10.93.79.7